भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1876

जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 दिसम्बर, 2018 को दिया जाना है

**अखिल भारतीय न्यायिक सेवाएं**

**1876 डा. अमी यज्ञिक :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं के माध्यम से समस्त राज्य न्यायिक सेवाओं को एक ही छत के नीचे लाने हेतु कोई आयोग गठित किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) से (ग) :** अखिलभारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के गठन के लिए एक व्यापक प्रस्ताव बनाया गया था जिसके लिए नवम्बर, 2012 में सचिवों की समिति द्वारा सिफारिश की गई थी। 05 अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन की कार्य सूची में प्रस्ताव के साथ उच्च न्यायालयों और राज्यों से प्राप्त विचार भी शामित थे । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर राज्यों और उच्च न्यायालयों के बीच राय में भिन्नता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने एक समान आधार पर पहुंचने के लिए परामर्श प्रक्रिया आरंभ की है । तथापि, विषय पर कोई प्रगति नहीं हुई है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*